



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2018/माघ 2, 1939

No. 28]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2018/MAGHA 2, 1939

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2017

भारतीय उपचर्या परिषद् (तकनीकी तथा प्रशासनिक पद), भर्ती नियम, 2017

सं. 2-17/2017-आई.एन.सी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 8(2)(घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा परिषद् में विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों के सभी मौजूदा भर्ती नियमों का प्रतिस्थापन करते हुए, इस तरह के प्रतिस्थापन से पूर्व किए गए अथवा किए जाने से रह गए कार्यों को छोड़कर, भारतीय उपचर्या परिषद् तकनीकी और प्रशासनिक पदों की भर्ती की विधि और तत्सम्बन्धी विषयों को विनियमित करने के लिए निम्न नियम बनाती है, यथा:—

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- (i) इन नियमों को भारतीय उपचर्या परिषद् (तकनीकी तथा प्रशासनिक पद), भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना/प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

- (क) “अधिनियम” का आशय समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 से है।
- (ख) “परिशिष्ट” का आशय इन नियमों की अनुसूची के परिशिष्ट से है।
- (ग) “परिषद्” का आशय भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 के तहत गठित भारतीय उपचर्या परिषद् से है।
- (घ) “विभागीय उम्मीदवार” का आशय भारतीय उपचर्या परिषद् में नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारियों से है, लेकिन उनमें ऐसे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो तदर्थ, दिहाड़ी अथवा संविदा आधार पर कार्यरत हैं।
- (ङ) “कार्यकारी समिति” का आशय भारतीय उपचर्या परिषद् की कार्यकारी समिति से है।
- (च) “अनुभव” का आशय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात के अनुभव से है।
- (छ) “सरकार” का आशय केन्द्रीय सरकार से है।
- (ज) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में “परिवीक्षाधीन” का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे इन नियमों में यथानिर्दिष्ट सीधी भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्त किया गया हो।
- (झ) “अध्यक्ष” का आशय भारतीय उपचर्या परिषद् के अध्यक्ष से है।

- (ज) “नियमित सेवा” का आशय किसी कर्मचारी द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् के संवर्ग में संविदा अथवा दिहाड़ी आधार पर प्रदान की गई सेवा से इतर नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा से है।
- (ट) “अनुसूची” का आशय इन नियमों की अनुसूची से है।
- (ठ) “चयन समिति” का आशय चयन समिति के सदस्यों के गठन से है जिसमें इन नियमों की अनुसूची के परिशिष्ट-1 एवं 2 में निर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति शामिल है।

3. परिषद् में अधिकृत स्थायी एवं अस्थायी पदों की संख्या

- (i) अधिसूचना की तारीख को सेवा के विभिन्न संवर्गों/पदों हेतु अधिकृत स्थायी पदों की संख्या; उनका वर्गीकरण तथा तत्सम्बन्धी वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथानिर्दिष्ट होंगे।

बशर्त अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के अनुमोदन से परिषद् के कामकाज के हित में जरूरी पाए जाने पर किसी भी संवर्ग/पदों की संख्या में कोई भी अस्थायी वृद्धि/कटौती कर सकता है।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ

- (i) भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएँ तथा उपर्युक्त पदों से सम्बन्धित अन्य विषय अनुसूची के कॉलम 6 से 10 तक में यथानिर्दिष्ट होंगे।
- (ii) आयु सीमा भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के सन्दर्भ में होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पंगी उपमण्डल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि)।
- (iii) सीधी भर्ती/मुक्त चयन से सम्बन्धित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पदों की विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित चयन समितियों का गठन परिशिष्ट-1 एवं 2 में दिए अनुसार होगा। सीधी भर्ती/मुक्त चयन के माध्यम से प्रत्येक भर्ती अनिवार्यतः प्रमुख समाचार-पत्रों और रोजगार समाचार में खुला विज्ञापन देने और अर्जियाँ अग्रेषित करने के लिए कम से कम 4 सप्ताह का समय दिए जाने के बाद ही की जाएगी। यदि कुछ एक मामलों में ऐसे प्रबल कारण हों जिनके चलते रिक्ति तत्काल आधार पर भरी जानी हो तो अध्यक्ष, भारतीय उपचर्या परिषद् की मंजूरी से अल्प समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।
- (iv) समूह क और ख पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा निवृत्त होने के कारण या एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित करने के लिए स्थानान्तरित किये जाने के कारण और आवश्यक अनुभव एवं निर्धारित योग्यता होने पर सशस्त्र बल कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा। इस तरह के लोगों को सशस्त्र बलों से रिहा होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाएगा इसके बाद वे पुनः रोजगार आधार पर जारी रह सकते हैं।
- (v) पदोन्नति के लिए भर्ती वर्ष कैलेण्डर वर्ष के आधार पर होगा। जिन मामलों में पदोन्नति को भर्ती की एक विधि के रूप में निर्धारित किया गया है, पदोन्नति के लिए पात्रता सूची भर्ती वर्ष की पहली जनवरी को अधिकारियों द्वारा अपने सम्बन्धित संवर्ग/पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी किए जाने की तारीख के सन्दर्भ में तैयार की जाएगी।
- (vi) किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए योग्य तभी माना जाएगा, यदि उसने
- (i) फीडर ग्रेड में निर्धारित योग्यता सेवा प्रदान की है;
- (ii) जहाँ निर्धारित हों, सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि पूरी कर ली है; तथा
- (vii) इन नियमों में जो कुछ भी कहा गया है उसके बावजूद, आपत्तिक स्थितियों में अध्यक्ष संविदा अवधि/अल्प अवधि आधार पर नियुक्तियाँ कर सकता है। ऐसे मामलों में संविदा अवधि/अल्प अवधि आधार सामान्यतः छः महीने से अधिक नहीं होगा।

5. अपात्रता — कोई भी व्यक्ति —

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका जीवनसाथी जीवित है विवाह कर लिया है अथवा विवाह का करार कर लिया है; अथवा
- (ख) जिसका जीवनसाथी जीवित है और जिसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह करने का करार कर लिया है;

परिषद् में किसी भी पद पर भर्ती का पात्र नहीं होगा :

बशर्त केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हों कि इस तरह का विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्त है और यह कि इस तरह का विवाह करने के अन्य आधार मौजूद हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकती है।

6. परिवीक्षा

परिषद् के अधीन सीधी भर्ती/मुक्त चुनाव अथवा पदोन्नति के माध्यम से किसी पद पर भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति पद से सम्बन्धित अनुसूची में यथानिर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आदेशानुसार विस्तारित अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा।

7. ढील देने की शक्ति

जब अध्यक्ष द्वारा की गई अनुशंसा पर परिषद् की कार्यकारी समिति का यह मत हो कि ऐसा करना जरूरी अथवा उचित है तो वह लिखित में कारण निर्दिष्ट कर आदेश पारित कर पदों अथवा व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी से सम्बन्धित इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

8. निरसन तथा व्यावृत्ति

इन नियमों में निर्दिष्ट कोई भी बात परिषद् द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

भारतीय उपचर्या परिषद् (तकनीकी तथा प्रशासनिक पद), भर्ती नियम, 2010 इसके द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

9. निर्वचन

- (i) इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में जब तक कि इन नियमों में अन्यथा विशिष्ट रूप से न कहा गया हो कार्यकारी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ii) इन नियमों में कही गई किसी भी बात के बावजूद कार्यकारी समिति के पास इन नियमों के किसी भी प्रावधान को बदलने अथवा संशोधित करने का अधिकार निहित होगा।

10. कठिनाइयों को दूर करना

यदि इन नियमों के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन अथवा प्रचालन में कोई कठिनाई पेश आती है तो अध्यक्ष कार्यकारी समिति के अनुमोदन से इन नियमों के प्रावधानों के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देश जारी कर सकता है जोकि उसकी राय में ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से जरूरी हों।

परिशिष्ट-1

- (1) सचिव;
- (2) संयुक्त सचिव;
- (3) उप-सचिव;
- (4) अवर सचिव; तथा
- (5) सहायक सचिव

पदों की भर्ती के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- (1) अध्यक्ष;
- (2) उपाध्यक्ष;
- (3) अध्यक्ष द्वारा नामित कार्यकारी समिति का कोई सदस्य (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को छोड़कर);
- (4) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई बाह्य विशेषज्ञ;
- (5) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई बाह्य विशेषज्ञ।

उपरोक्त समिति नियमित करने/परिवीक्षा निर्गम (प्रोबेशन क्लियरेंस) के मामलों पर भी विचार करेगी।

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत आने वाले पदों के अलावा अन्य पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- (1) उपाध्यक्ष
- (2) अध्यक्ष द्वारा नामित कार्यकारी समिति का कोई सदस्य (उपाध्यक्ष को छोड़कर);
- (3) सचिव;
- (4) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई बाह्य विशेषज्ञ।

उपरोक्त समिति पदोन्नति/नियमित करने/परिवीक्षा निर्गम (प्रोबेशन क्लियरेंस) मामलों पर भी विचार करेगी।

परिशिष्ट-3

पदनाम, वेतन मेट्रिक्स में वेतन का स्तर एवं पदों की संख्या

क्र.सं.	पद	वेतन मेट्रिक्स में वेतन का स्तर	पदों की संख्या
1.	सचिव	वेतन मेट्रिक्स स्तर 13 (रु. 123100-215900) (वेतन बैंड-4 रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु. 8700 के समतुल्य)	1
2.	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 12 (रु. 78800-209200) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600 के समतुल्य)	1
3.	उपसचिव (उपचर्या)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 11 (रु. 67700-208700) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600 के समतुल्य)	1
4.	उपसचिव (प्रशासन)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 11 (रु. 67700-208700) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600 के समतुल्य)	1
5.	अवर सचिव (उपचर्या)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 (रु. 56100-177500) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400 के समतुल्य)	1
6.	अवर सचिव (प्रशासन)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 (रु. 56100-177500) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400 के समतुल्य)	1
7.	सहायक सचिव (उपचर्या)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 8 (रु. 47600-151100) (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 के समतुल्य)	2
8.	सहायक सचिव (प्रशासन)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 8 (रु. 47600-151100) (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 के समतुल्य)	2
9.	सहायक	वेतन मेट्रिक्स स्तर 6 (रु. 35400-112400) (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200 के समतुल्य)	4
10.	अधीक्षक	वेतन मेट्रिक्स स्तर 5 (रु. 29200-92300) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2800 के समतुल्य)	4
11.	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन मेट्रिक्स स्तर 4 (रु. 25500-81100) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400 के समतुल्य)	10
12.	निम्न श्रेणी लिपिक	वेतन मेट्रिक्स स्तर 2 (रु. 19900-63200) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900 के समतुल्य)	12
13.	बहुकार्यीय कर्मचारी (एमटीएस)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 1 (रु. 18000-56900) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800 के समतुल्य)	4*

टिप्पणी:- *बहुकार्यीय कर्मचारियों (एमटीएस) के पद खाली होने पर समाप्त कर दिये जाएंगे।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स स्तर	चयनात्मक अथवा गैर-चयनात्मक	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक अर्हता एवं अपेक्षित अनुभव
1	2	3	4	5	6	7
1. सचिव	1* (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "क" (तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 13 (रु.123100-215900) (वेतन बैंड-4 रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु. 8700 के समतुल्य)	लागू नहीं	50 वर्ष से कम होना श्रेयस्कर (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में रियायत योग्य)	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति वाले मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षण अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की विधि – सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा एवं विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड का विवरण जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है
8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>क) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/ विश्वविद्यालय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत ऐसे अधिकारी</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 12 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 7600) पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा या उसके समतुल्य अथवा वेतन मेट्रिक्स स्तर 11/12 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 6600/7600) पर 11 वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा जिसमें से कम से कम 4 वर्ष वेतन मेट्रिक्स स्तर 12 पर हो; और</p> <p>ख) निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले अधिकारी,</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>(i) उपचर्या में स्नातकोत्तर उपाधि;</p> <p>(ii) भारत के किसी भी राज्य उपचर्या परिषद् में पंजीकृत नर्स तथा पंजीकृत दाई;</p> <p>(iii) उपचर्या में स्नातकोत्तर के बाद कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी विनियामक निकाय/ सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) उपचर्या में पी.एचडी.;</p> <p>(ii) आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों की जानकारी।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

1	2	3	4	5	6	7
2. संयुक्त सचिव	1* (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "क" (गैर-तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 12 (रु. 78800-209200) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600 के समतुल्य)	चयनात्मक	50 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में रियायत योग्य)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि; (औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक उपाधि के पश्चात् कम से कम दो वर्ष में देय अथवा 10+2 के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष में देय)</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर के बाद 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम</p>

					<p>से कम 5 वर्ष का अनुभव केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी विनियामक निकाय/सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) एम.बी.ए. अथवा प्रबन्धन में डिप्लोमा;</p> <p>(ii) उपचर्या शिक्षा/प्रशासन/वित्त/लेखा से सम्बन्धित बुनियादी ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी;</p> <p>(iii) उपचर्या के क्षेत्र में आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का अनावरण।</p>
--	--	--	--	--	---

8	9	10	11
<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता: हाँ</p>	<p>सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष</p>	<p>पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>I. पदोन्नति:</p> <p>ग्रेड में उपसचिव (प्रशासन)/उपसचिव (उपचर्या) पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।</p> <p>II. प्रतिनियुक्ति:</p> <p>क) केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/उपचर्या परिषद्/नर्सिंग कॉलेज/नर्सिंग स्कूल में कार्यरत ऐसे अधिकारी,</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 11 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 6600) में 6 वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>ख) कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले अधिकारी।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

1	2	3	4	5	6	7
3. उपसचिव (उपचर्या)	1* (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "क" (तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 11 (रु. 67700-208700) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600 के समतुल्य)	चयनात्मक	40 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में रियायत योग्य)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपचर्या में स्नातकोत्तर उपाधि ;</p> <p>(ii) भारत के किसी भी राज्य उपचर्या परिषद् में पंजीकृत नर्स तथा पंजीकृत दाई;</p> <p>(iii) उपचर्या में स्नातकोत्तर के बाद 7 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी विनियामक निकाय/सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड और नर्सिंग संस्थानों में कार्यकारी ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी;</p> <p>(ii) आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का कार्यकारी ज्ञान।</p>

8	9	10	11
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ	सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>I. पदोन्नति:</p> <p>ग्रेड में अवर सचिव (उपचर्या) पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; जिसके न होने पर सहायक सचिव (उपचर्या)/अवर सचिव (उपचर्या) के रूप में 10 वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा के साथ ग्रेड में अवर सचिव (उपचर्या) पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी;</p> <p>II. प्रतिनियुक्ति:</p> <p>क) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत ऐसे अधिकारी,</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 5400) में नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की नियमित सेवा; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 8 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 4800) में 10 वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>ख) कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले अधिकारी।</p>

			<p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>			
1	2	3	4	5	6	7
4. उपसचिव (प्रशासन)	1 (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "क" (गैर-तकनीकी)	वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 (रु. 67700-208700) वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600 के समतुल्य)	चयनात्मक	40 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में रियायत योग्य)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि; (औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक उपाधि के पश्चात् कम से कम दो वर्ष में देय अथवा 10+2 के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष में देय)</p> <p>(ii) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी विनियामक/सांविधिक निकाय में 10 वर्ष का स्वास्थ्य सम्बन्धित मामलों का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्रशासन/वित्त/लेखा के क्षेत्र में होना चाहिए।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) एम.बी.ए. अथवा प्रबन्धन में डिप्लोमा;</p> <p>(ii) आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का कार्यकारी ज्ञान।</p>

8	9	10	11
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ	सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>I. पदोन्नति: ग्रेड में अवर सचिव (प्रशासन) पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; जिसके न होने पर सहायक सचिव (प्रशासन)/अवर सचिव (प्रशासन) के रूप में 10 वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा के साथ ग्रेड में अवर सचिव (प्रशासन) पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।</p> <p>II. प्रतिनियुक्ति: क) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था में कार्यरत ऐसे अधिकारी, (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 (संशोधन पूर्व वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन रु. 5400) पर नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की नियमित सेवा; अथवा</p>

			<p>(iii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 8 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 4800) पर 10 वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>ख) कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले अधिकारी।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7
5. अवर सचिव (उपचर्या)	1* (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "क" (तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 (रु. 56100-177500) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400 के समतुल्य)	गैर- चयनात्मक	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>I. पदोन्नति: ग्रेड में सहायक सचिव (उपचर्या) पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।</p> <p>II. प्रतिनियुक्ति: क) केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत ऐसे अधिकारी, (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा (ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 7/8 (संशोधन पूर्व वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन रु. 4600/4800) में किसी पद पर नियुक्ति के बाद 4 वर्ष की नियमित सेवा; और ख) निम्नलिखित अर्हताएँ रखने वाले अधिकारी, अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपचर्या में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) भारत के किसी भी राज्य उपचर्या परिषद् में पंजीकृत नर्स तथा पंजीकृत दाई; (iii) उपचर्या में स्नातकोत्तर के बाद केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी विनियामक निकाय/सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में उपचर्या प्रशासन/शैक्षणिक क्षेत्र में 4 वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड और नर्सिंग संस्थानों में कार्यकारी ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार; (ii) आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का कार्यकारी ज्ञान।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p>

			टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7
6. अवर सचिव (प्रशासन)	1* (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "क" (गैर-तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 (रु. 56100-177500) (वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400 के समतुल्य)	गैर-चयनात्मक	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>I. पदोन्नति: ग्रेड में सहायक सचिव (प्रशासन) पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।</p> <p>II. प्रतिनियुक्ति: क) केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत ऐसे अधिकारी, (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा (ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 7/8 (संशोधन पूर्व वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन रु. 4600/4800) में किसी पद पर नियुक्ति के बाद 4 वर्ष की नियमित सेवा; और ख) निम्नलिखित अर्हताएँ रखने वाले अधिकारी, अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि; (औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक उपाधि के पश्चात् कम से कम दो वर्ष में देय अथवा 10+2 के पश्चात् कम से कम पाँच वर्ष में देय); (ii) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी परिषद्/विनियामक निकाय/सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग में 5 वर्ष का प्रशासनिक/वित्तीय अनुभव। वांछनीय: (i) आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का कार्यकारी ज्ञान।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

1	2	3	4	5	6	7
7. सहायक सचिव (उपचर्या)	2* (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "ख" (तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 8 (रु. 47600-151100) (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 के समतुल्य)	लागू नहीं	35 वर्ष से कम (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में रियायत योग्य)	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपचर्या में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) भारत के किसी भी राज्य उपचर्या परिषद् में पंजीकृत नर्स तथा पंजीकृत दाई;

					<p>(iii) उपचर्या में स्नातकोत्तर के बाद केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी विनियामक निकाय/सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में 5 वर्ष का उपचर्या प्रशासन एवं शैक्षणिक अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड और नर्सिंग संस्थानों में कार्यकारी ज्ञान;</p> <p>(ii) आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का कार्यकारी ज्ञान।</p>
--	--	--	--	--	---

8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>I. प्रतिनियुक्ति:</p> <p>क) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संगठन/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत ऐसे अधिकारी,</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 4200) में किसी पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>ख) कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले अधिकारी।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित संवर्ग- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

1	2	3	4	5	6	7
8. सहायक सचिव (प्रशासन)	2* (2017) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तनीय	समूह "ख" (गैर-तकनीकी)	वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 (रु. 47600-151100) (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 के समतुल्य)	गैर-चयनात्मक	35 वर्ष से कम (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में रियायत योग्य)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि; (औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक उपाधि के पश्चात् कम से कम दो वर्ष में देय अथवा 10+2 के पश्चात् कम से कम पाँच वर्ष में देय);</p> <p>(ii) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी</p>

						<p>परिषद्/विनियामक निकाय/सांविधिक निकाय/नर्सिंग स्कूल/नर्सिंग कॉलेज के प्रशासन/वित्त विभाग में अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग में 6 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का कार्यकारी ज्ञान।</p>
--	--	--	--	--	--	--

8	9	10	11
<p>आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं</p>	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>I. पदोन्नति: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ ग्रेड में सहायक पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।</p> <p>II. प्रतिनियुक्ति:</p> <p>क) केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी उपचर्या परिषद् में कार्यरत ऐसे अधिकारी,</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 4200) में किसी पद पर नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समतुल्य; और</p> <p>ख) कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले अधिकारी।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

1	2	3	4	5	6	7
9. सहायक	4* (2017) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय	समूह "ख" (गैर-तकनीकी)	वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 (रु. 35400-112400) (वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200 के समतुल्य)	चयनात्मक	30 वर्ष से कम (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में रियायत योग्य)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि;</p> <p>(ii) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में 6 वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान।</p>

8	9	10	11
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>I. पदोन्नति: ग्रेड में अधीक्षक के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>II. प्रतिनियुक्ति:</p> <p>क) केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी उपचर्या परिषद् में कार्यरत ऐसे अधिकारी,</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 5 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 2800) में किसी पद पर नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष; और</p> <p>ख) कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु—सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

10. अधीक्षक	4* (2017) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय	समूह "ग" (गैर-तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 5 (रु. 29200-92300) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2800 के समतुल्य)	चयनात्मक	30 वर्ष से कम (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक रियायत योग्य)	<p>अनिवार्य:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि (वाणिज्य/सांख्यिकी को प्राथमिकता);</p> <p>(ii) कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान।</p> <p>(iii) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में 3 वर्ष का लेखा/कार्मिक प्रबन्धन अनुभव;</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) प्रतिष्ठित संगठन में पर्याप्त कार्यकारी अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।</p>
-------------	--	--------------------------	--	----------	---	--

आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>पदोन्नति: ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक ।</p>
-----------------------------------	---------------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
11. उच्च श्रेणी लिपिक	10* (2017) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय	समूह "ग" (गैर-तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 4 (रु. 25500-81100) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400 के समतुल्य)	गैर-चयनात्मक	30 वर्ष से कम (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों एवं किसी भी उपचर्या परिषद् अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय के कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक रियायात योग्य)	अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि; (ii) कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान। वांछनीय: (i) केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी उपचर्या परिषद् अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय अथवा किसी प्रतिष्ठित बड़े निजी संस्थान में दो वर्ष का अनुभव

8	9	10	11
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	I. पदोन्नति: ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न श्रेणी लिपिक। II. प्रतिनियुक्ति: क) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी उपचर्या परिषद् अथवा किसी कार्यालय/स्वायत्त/सांविधिक निकाय में कार्यरत ऐसे अधिकारी (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदों के धारक हों; अथवा (ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 2 (संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रु. 1900) में किसी पद पर प्रबन्धन/लेखा विभाग में अनुभव के साथ 8 वर्ष की नियमित सेवा; और ख) कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले। टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन में अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्थान में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी। टिप्पणी 2: पदोन्नति की पंक्ति में सीधे आने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले प्रार्थी की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1	2	3	4	5	6	7
12. निम्न श्रेणी लिपिक	12* (2017) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय	समूह "ग" (गैर-तकनीकी)	वेतन मेट्रिक्स स्तर 2 (रु. 19900-63200) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900 के समतुल्य)	चयनात्मक	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के	अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य (ii) टंकण गति: कम्प्यूटर पर

					अनुसार सरकारी कर्मचारियों एवं किसी भी उपचर्या परिषद् अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय के कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक रियायत योग्य)	अंग्रेजी में 35 शब्द/मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द/मिनट। (35 शब्द/मिनट एवं 30 शब्द/मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशनों पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के परिचायक हैं) (iii) कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान। वांछनीय: (i) सचिवालयी कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का कार्यकारी अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
--	--	--	--	--	--	--

8	9	10	11
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	केवल सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
13. बहुकार्यीय कर्मचारी (एमटीएस)	4 (2017)	समूह 'ग' (गैर-तकनीकी)	वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 (रु. 18000-56900) (वेतन बैंड-1 रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800 के समतुल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं। ये पद खाली होने पर समाप्त कर दिये जाएंगे।	लागू नहीं

टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./394/17]

INDIAN NURSING COUNCIL NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2017

Indian Nursing Council (Technical and Administrative posts), Recruitment Rules, 2017

No. 2-17/2017-INC.—In exercise of the powers conferred under Article 8(2)(d) of the Indian Nursing Council Act, 1947 and in supersession of all the existing Recruitment Rules for various technical and administrative posts in the Council, except as respects things done or omitted to be

done, before such supersession, the Indian Nursing Council hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the technical and administrative posts in the Indian Nursing Council and matters related thereto, namely:-

1. Short title and commencement

- (i) These rules may be called the Indian Nursing Council (Technical and Administrative posts), Recruitment Rules, 2017.
- (ii) They shall come into force on the date of its notification/ publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

- (a) “Act” means The Indian Nursing Council Act, 1947 as amended from time to time.
- (b) “Appendix” means an Appendix to the Schedule to these Rules.
- (c) “Council” means the Indian Nursing Council established under the Indian Nursing Council Act, 1947
- (d) “Departmental candidate” means those employees working on regular basis in the Indian Nursing Council but does not include employees working on ad-hoc, daily wages or on contract basis.
- (e) “Executive Committee” means the Executive Committee of the Indian Nursing Council
- (f) “Experience” means experience after acquiring the minimum educational qualifications prescribed for the post.
- (g) “Government” means the Central Government.
- (h) “On probation” with relation to a person, means a person appointed to any post on Direct Recruitment basis as specified in these Rules.
- (i) “President” means the President of Indian Nursing Council
- (j) “Regular service” means service rendered by an employee in the Cadre of Indian Nursing Council on a regular basis other than the service rendered on contract or daily wages;
- (k) “Schedule” means a Schedule to these Rules.
- (l) “Selection Committee” means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee specified in the Appendix-1 and 2 to the Schedule to these Rules.

3. Authorized permanent strength and temporary strength of the Council

- (i) The authorized permanent strength of various grades/posts of the service on the date of notification, the number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in the Schedule annexed to these Rules

Provided that the President with the approval of the Executive Committee may make temporary additions/deletions to any of the grade/posts in the council as found necessary in the interest of the working of the Council.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications

- (i) The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 10 of the Schedule.
- (ii) Age limit shall be with reference to the last date prescribed for receipt of applications from candidates residing in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
- (iii) For appointment to various posts against direct recruitment/open selection, the composition of the Selection Committees for different categories of posts will be as given in Appendix-1

and 2. Every appointment through direct recruitment/open selection shall invariably be made only after making an open advertisement in leading newspapers / Employment News by giving at least 4 weeks' time for forwarding their applications. If in a few cases where there are compelling reasons to fill up the vacancy on urgent basis, a shorter time-limit may be prescribed with the approval of President, INC.

- (iv) In respect of deputation to Group A & B posts the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.
- (v) The Recruitment year for promotions will be on the basis of calendar year. In cases where promotion has been prescribed as a method of recruitment, the eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in their respective cadre/post as on 1st January of the Recruitment year.
- (vi) An employee shall be considered for promotion only if he
 - i. has rendered the prescribed qualifying service in the feeder grade;
 - ii. has successfully completed probation, where prescribed; and
- (vii) Notwithstanding anything contained in these Rules, the President may, in case of exigencies, shall make appointment on Contract/ Short-term basis. In such cases the contract period/short term basis shall normally not exceed six months.

5. Disqualification.- No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Council

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Probation

Every person appointed through direct recruitment/open selection or promotion to a post under the Council shall be on probation for the period as mentioned in the schedule pertaining to the post or for the extended period as ordered.

7. Power to relax

Where the Executive Committee of the Council, upon recommendations made by the President, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of posts or persons.

8. Repeal and savings

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided by the Council for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Physically Handicapped persons, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

The Indian Nursing Council, (Technical and Administrative Posts), Recruitment Rules, 2010 are hereby repealed

9. Interpretation

- (i) Any question relating to interpretation of these Rules, the decision of the Executive Committee shall be final unless otherwise, specifically included in these rules.
- ii) Notwithstanding, anything contained in these rules, the Executive Committee shall have the power to alter or modify, any of the provisions of these rules.

10. Removal of difficulties

If any difficulty arises in the implementation or operation of any of the provision of these Rules, the President may, from time to time, issue with the approval of the Executive Committee, such general or special directions in respect of the provisions of those Rules, which appeared in his opinion to be necessary for the purpose of removing such difficulty.

Appendix 1

Selection Committee for recruitment to the posts of:

- (1) Secretary;
- (2) Joint Secretary;
- (3) Deputy Secretary;
- (4) Under Secretary
- (5) Assistant Secretary

Shall consist of following members:

- (1) President;
- (2) Vice President;
- (3) A member of the Executive Committee (other than a President and a Vice President) nominated by the President;
- (4) An outside expert, nominated by President;
- (5) An outside expert belonging to SC/ST/OBC category, to be nominated by President.

The above committee will also consider cases of Confirmation/Probation Clearance

Appendix 2

Selection Committee for recruitment to the posts, other than those covered by Appendix-1, shall consist of:

- 1) Vice President;
- 2) one Member of Executive Committee (other than a Vice President) nominated by the President;
- 3) Secretary
- 4) An outside expert belonging to SC/ST/OBC category, to be nominated by President

The above committee will also consider cases of Promotion/Confirmation/Probation Clearance

Appendix 3**Designation, Level of Pay and Number of posts**

S.No.	Post	Level of Pay in Pay Matrix	Number of posts
1.	Secretary	Level 13 of Pay Matrix (Rs. 123100-215900) (corresponding to PB-4 Rs. 37400-67000+GP Rs. 8700)	1
2.	Joint Secretary (Administration)	Level 12 of Pay Matrix (Rs. 78800- 209200) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 7600)	1
3	Deputy Secretary (Nursing)	Level 11 of Pay Matrix (Rs. 67700- 208700) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 6600)	1

S.No.	Post	Level of Pay in Pay Matrix	Number of posts
4.	Deputy Secretary (Administration)	Level 11 of Pay Matrix (Rs. 67700- 208700) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 6600)	1
5.	Under Secretary (Nursing)	Level 10 of Pay matrix (Rs. 56100- 177500) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 5400)	1
6.	Under Secretary (Administration)	Level 10 of Pay matrix (Rs. 56100- 177500) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 5400)	1
7.	Assistant Secretary (Administration)	Level 8 of Pay Matrix (Rs. 47600- 151100) (corresponding to PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 4800)	2
8.	Assistant Secretary (Nursing)	Level 8 of Pay Matrix (Rs. 47600- 151100) (corresponding to PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 4800)	2
9.	Assistant	Level 6 of Pay Matrix (Rs. 35400-112400) (corresponding to PB-2 Rs. 9300-34800+GP Rs. 4200)	4
10.	Superintendent	Level 5 of Pay Matrix (Rs. 29200- 92300) (corresponding to PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2800)	4
11	Upper Division Clerk	Level 4 of Pay Matrix (Rs. 25500-81100) (corresponding to PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 2400)	10
12..	Lower Division Clerk	Level 2 of Pay Matrix (Rs.19900-63200) (corresponding to PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900)	12
13.	Multi-tasking Staff	Level 1 of Pay Matrix (Rs. 18000-56900) (corresponding to PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1800)	4*

Note: * The Post of MTS shall be abolished as and when they fall vacant.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Level of Pay Matrix	Whether selection or non-selection	Age limit for Direct Recruits.	Educational Qualifications and experience required for direct Recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Secretary	1* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	Group A (Technical)	Level 13 of Pay Matrix (Rs. 123100-215900) (corresponding to PB-4 Rs. 37400-67000+GP Rs. 8700)	Not Applicable	Preferably below 50 years (Relaxable for government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of Vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	By Deputation	<p>I. Deputation:</p> <p>a) Officers working in the Autonomous/Statutory bodies/Universities/School/Colleges of Nursing under the Central/State Governments,</p> <p>i) Holding analogous post on regular basis or</p> <p>ii) With 5 years of regular service after appointment thereto in posts in Level 12 of Pay Matrix(pre-revised grade pay of Rs.7600/-)or equivalent or with 11 years regular combined service in posts in Level 11/ 12 of Pay Matrix (pre-revised grade pay of Rs.6600/7600)</p> <p>b) Possessing the following essential qualification and experience:</p> <p>Essential:</p> <p>i) Masters Degree in Nursing from a recognized University.</p> <p>ii) Registered Nurse and Registered Mid-wife registered with any State Nursing Councils in India.</p> <p>iii) 10 years of experience after Post Graduation in Nursing out of which at least 5 years' experience in Administration and Teaching in any regulatory/statutory bodies/ School/College of Nursing under Central/State Government.</p> <p>Desirable:</p> <p>i) Ph.D in Nursing.</p> <p>ii) Knowledge of Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems</p> <p>Note 1: The Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department or any of the institutions under Central/ State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application</p>

1	2	3	4	5	6	7
2. Joint Secretary	1* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	Group A (Non-Technical)	Level 12 of Pay Matrix (Rs.78800-209200) (corresponding to PB-3 Rs.15600-39100+GP Rs.7600)	Selection	50 years (Relaxable for government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	<p>Essential:</p> <p>i) Masters Degree in Science from a recognized University (granted through formal education program of minimum two years after the degree or five years after plus two).</p> <p>ii) 10 years' experience after Post Graduation with at least 5 years in regulatory /statutory bodies, School/ Colleges of Nursing under Central/State Governments.</p> <p>Desirable:</p> <p>i) MBA or Diploma in Management</p> <p>ii) Candidates with basic knowledge in Nursing Education/ Admn./ Finance/ Accounts will be preferred.</p> <p>iii) Exposure to Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems in the field of Nursing</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q.: Yes	One year for direct recruits	By Promotion failing which by Deputation and failing both by Direct Recruitment	<p>I. Promotion Deputy Secretary (Administration) / Deputy Secretary (Nursing) with 6 years regular service in the grade</p> <p>II. Deputation (a) Officers of central/ state government or any statutory/ autonomous body under central / state government or in nursing council/ college / school under central/ state government : (i) holding an analogous post on regular basis; or (ii) with 6 years regular service in a post in level -11 of pay matrix (pre revised grade pay Rs. 6600); and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under Col.7</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or any of the institutions under Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The Departmental feeder grade officers who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>

1	2	3	4	5	6	7
3. Deputy Secretary (Nursing)	1 (2017) * Subject to variation dependent on work load.	Group A (Technical)	Level 11 of Pay Matrix (Rs. 67700-208700) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 6600)	Selection	40 years (Relaxable in case of government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	<p>Essential: i) Masters Degree in Nursing from a recognized University. ii) Registered Nurse and Registered Mid-wife or equivalent duly registered with any State Nursing Councils in India. iii) 7 years' experience after Post Graduation in Nursing out of which at least 4 years' experience in a regulatory/statutory bodies, School/ Colleges of Nursing under Central/ State Governments.</p> <p>Desirable: i) Candidates with good academic record and possessing working knowledge in nursing institutions will be preferred. ii) Working Knowledge in Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems etc.</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q.: Yes	One year for direct recruits	By Promotion/ Deputation failing which by Direct Recruitment.	<p>I. Promotion (a) Under Secretary (Nursing) with 6 years regular service in the grade failing which Under Secretary (Nursing) with 3 years' regular service in the grade and regular combined service of 10 years as Assistant Secretary (Nursing) / Under Secretary (Nursing);</p> <p>II Deputation: a) Officers working in the Autonomous/Statutory bodies/School/ College of Nursing under the Central/State Governments, i) Holding analogous post on regular basis or ii) With 6 years regular service after appointment thereto in a post at Level 10 of Pay Matrix (pre-revised grade pay of Rs.5400/-) ; or iii) With 10 years regular service in Level 8 (pre-revised Grade pay Rs. 4800); and b) Possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or any of the institutions under Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p>

			<p>Note 2: The Departmental feeder grade officers who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application</p>
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
4. Deputy Secretary (Administration)	1* (2017) * Subject to variation & dependent on work load.	Group A (Non-Technical)	Level 11 of Pay Matrix (Rs. 67700-208700) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 6600)	Selection	40 years (Relaxable for government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>Essential:</p> <p>(i) Masters Degree in Science from a recognized University (granted through formal education program of minimum two years after the degree or five years after plus two).</p> <p>(ii) 10 years' experience in regulatory / statutory bodies under Central/State Governments/relating to Health matters of which at least 5 years' experience in the areas of Administration/Finance/Accounts.</p> <p>Desirable:</p> <p>i) M.B.A. or Diploma in Management</p> <p>ii) Working Knowledge of Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems etc.</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q.: Yes	One year for direct recruits	By Promotion/ Deputation failing which by Direct Recruitment.	<p>I. Promotion Under Secretary (Administration) with 6 years regular service in the grade failing which Under Secretary (Administration) with 3 years' regular service in the grade and regular combined service of 10 years as Assistant Secretary (Administration)/Under Secretary (Administration).</p> <p>II. Deputation:</p> <p>a) Officers working in any organization under the Central/State Governments, (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) With 6 years regular service after appointment thereto in a post in level 10 of pay matrix (pre-revised GP Rs.5400 in PB-3); or (iii) with 10 years regular service in Level 8 (pre-revised Grade pay Rs.4800); and</p> <p>b) Possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or any of the institutions under Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The Departmental feeder grade officers who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application</p>

1	2	3	4	5	6	7
5. Under Secretary (Nursing)	1* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	Group A (Technical)	Level 10 of Pay matrix (Rs. 56100-177500) (corresponding to PB-3 Rs. 15600-39100+GP Rs. 5400)	Non Selection	Not Applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not Applicable	2 years	Promotion failing which by deputation	<p>Promotion Assistant Secretary (Nursing) with 4 years regular service in the grade</p> <p>Deputation a) Officers of the Central/State Governments or any organizations/School/College of Nursing under the Central/State Governments, (i) Holding analogous posts on regular basis or (ii) With 4 years regular service after appointment thereto in posts in Level 7/8 of Pay Matrix respectively (pre-revised PB -2 grade pay of Rs.4600 /4800-) and b) possessing the following qualifications:</p> <p>Essential: (i) Masters Degree in Nursing from a recognized University. (ii) Registered Nurse and Registered Mid-wives registered with any State Nursing Councils in India. iii) 4 years' experience in Nursing administration/ teaching after post-graduation in any regulatory /statutory bodies/ School/ Colleges of Nursing under Central/State Governments</p> <p>Desirable: i) Candidates with good academic record and possessing working knowledge in Nursing institutions. ii) Working Knowledge in Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems etc.</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or any of the institutions under Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The Departmental feeder grade officers who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application</p>

1	2	3	4	5	6	7
6. Under Secretary (Administration)	1* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	Group A (Non-Technical)	Level 10 of Pay matrix (Rs.56100- 177500) (corresponding to PB-3 Rs.15600-39100+GP Rs.5400)	Non selection	Not Applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not Applicable	2 years	Promotion failing which by deputation	<p>I. Promotion Assistant Secretary (Administration) with 4 years regular service in the grade</p> <p>II. Deputation (a) Officers of the Central/State Governments or any organizations/School/ College of Nursing under the Central/State Governments, (i) Holding analogous posts on regular basis or (ii) With 4 years regular service after appointment thereto in posts in Level 7/8 of Pay Matrix respectively (pre-revised PB-2 grade pay of Rs. 4600/4800-) ; and (b) possessing the following qualifications</p>

			<p>Essential: (i) Masters Degree in any discipline from a recognized University (granted through formal education program of minimum two years after the degree or five years after plus two). (ii) 5 years of experience in Administration/Finance in any council/ regulatory body/ statutory bodies under Central/State Governments/ School/ Colleges of Nursing_ or in Central Government Department</p> <p>Desirable: (i) Working Knowledge of Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems etc.</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or any of the institutions under Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The Departmental feeder grade officers who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application</p>
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
7. Assistant Secretary (Nursing)	2* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	Group B (Technical)	Level 8 of Pay Matrix (Rs.47600-151100) (corresponding to PB-2 Rs.9300-34800+GP Rs.4800)	Not applicable	Below 35 years (Relaxable for government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>Essential: i) Masters Degree in Nursing from a recognized University. ii) Registered Nurse and Registered Mid-wives registered with any State Nursing Councils in India. iii) 5 years' experience in Nursing administration and teaching after post graduation in any regulatory /statutory bodies/ School/ Colleges of Nursing under Central/State Governments</p> <p>Desirable: i) Candidates with good academic record and possessing working knowledge in Nursing institutions. ii) Working Knowledge in Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems etc.</p>

8	9	10	11
Not Applicable	Two years	By Direct Recruitment failing which by Deputation.	<p>I. Deputation: a) Officers working in any organizations/School/College of Nursing under the Central/State Governments, i) Holding analogous posts on regular basis ; or ii) With 5 years of regular service after appointment thereto in posts in Level 6 of Pay Matrix (pre-revised grade pay of Rs.4200/-) and b) Possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department or any of the institutions under Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years</p> <p>Note 2: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>

1	2	3	4	5	6	7
8. Assistant Secretary (Administration)	2* (2017) * Subject to variation & dependent on work load.	Group B (Non-Technical)	Level 8 of Pay Matrix (Rs.47600-151100) (corresponding to PB-2 Rs.9300-34800+GP Rs.4800)	Non Selection	Below 35 years (Relaxable for government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	<p>Essential:</p> <p>i) Masters Degree in any discipline from a recognized University (granted through formal education program of minimum two years after the degree or five years after plus two).</p> <p>ii) 6 years of experience in Administration/ Finance in any council/ regulatory body/statutory bodies/ School/Colleges of Nursing under Central/State Governments or in Central Government Department</p> <p>Desirable:</p> <p>Working Knowledge of Modern Management Techniques, Computer Applications, Management Information Systems etc.</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q.: No	Two years	By Promotion failing which by Deputation and failing both by Direct Recruitment.	<p>I. Promotion Assistant with 6 years of regular service in the grade and possessing a degree in any subject, from a recognized university.</p> <p>II. Deputation:</p> <p>a) Officers working in any Central Government Department or Council of Nursing under the Central/State Governments,</p> <p>i) Holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>ii) With 6 years of regular service after appointment thereto in posts in Level 6 of Pay Matrix (pre-revised grade pay of Rs.4200/-) or equivalent</p> <p>b) Possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or any of the institutions under Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The Departmental feeder grade officers who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>

1	2	3	4	5	6	7
9. Assistant	4* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	Group B (Non-Technical)	Level 6 of Pay Matrix (Rs.35400-112400) (corresponding to PB-2 Rs.9300-34800+GP Rs.4200)	Selection	Below 30 years (Relaxable for government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>Essential:</p> <p>i) Graduate Degree in any discipline from a recognized University</p> <p>ii) 6 years of experience in a reputed organization</p> <p>(iii) Working Knowledge of Computers</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q.: No.	Two years	By Promotion failing which by deputation / failing both by Direct Recruitment.	<p>I. Promotion Superintendent with 6 years of regular service in the grade</p> <p>II Deputation:</p> <p>a) Officers working in any Central government department or Council of Nursing under the Central/State Governments,</p> <p>i) Holding analogous post on regular basis or</p> <p>ii) With 6 years of regular service after appointment thereto in posts in Level 5 of Pay Matrix (pre-revised grade pay of Rs. 2800/-) or equivalent ; and</p>

			<p>b) Possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note-1: The Period of deputation/contract including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or any of the institutions under Central/State Governments as specified in this column shall ordinarily not exceed three years</p> <p>Note 2: The Departmental feeder grade candidates who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
10. Superintendent	4* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	Group C (Non-technical)	Level 5 of Pay Matrix (Rs.29200-92300) (corresponding to PB-1 Rs.5200-20200+GP Rs.2800)	Selection	Below 30 years (Relaxable up to 40 years to government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>i) Graduate Degree in any discipline from a recognized University (preferably in Commerce/ Statistics)</p> <p>ii) Working Knowledge of Computers</p> <p>iii) 3 years' experience in accounts/ personnel management in a reputed organization</p> <p>Desirable:</p> <p>i) Preference will be given to those candidates who possess adequate working experience in a reputed organization.</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q: No	Two years for direct recruits	By Promotion failing which by Direct Recruitment.	1. Promotion UDC with 5 years of regular service in the grade

1	2	3	4	5	6	7
11. Upper Division Clerk	10* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	Group C (Non-technical)	Level 4 of Pay matrix (Rs.25500-81100) (corresponding to PB-1 Rs.5200-20200+GP Rs.2400)	Non-Selection	Below 30 years of age (Relaxable up to 40 years in case of government servants and employees of any Council of Nursing or any offices under the Central/State Governments, autonomous/ statutory bodies, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	<p>Essential:</p> <p>i) A Degree from a recognized University or equivalent.</p> <p>ii) Working knowledge of Computers</p> <p>Desirable:</p> <p>i) 2 years' experience in central/ state government or any Council of Nursing or any offices under the Central/State Governments, autonomous/ statutory bodies, or a large private organization of repute.</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q: No	Two year for direct recruits	By Promotion failing which Transfer on deputation failing both by Direct Recruitment.	<p>I. Promotion Lower Division Clerk with 8 years' service in the grade</p> <p>II. Deputation:</p> <p>a) Officers working in any Council of Nursing or any offices under the Central/State Governments, autonomous/ statutory bodies,</p> <p>i) Holding analogous post on regular basis or</p> <p>ii) With 8 years regular service in Level 2 of Pay Matrix (pre-revised Grade Pay Rs.1900) with experience in Administration/Accounts, and</p> <p>b) Possessing the essential qualifications prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central/State Governments shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The Departmental feeder grade candidates who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists working in the Council will not be eligible for consideration to this post on promotion.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for applicant on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>

1	2	3	4	5	6	7
12. Lower Division Clerk	12* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	Group C (Non-technical)	Level 2 of Pay Matrix (Rs.19900-63200) (corresponding to PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1900)	Non-Selection	Between 18 and 27years. (Relaxable up to 40 years for in the case of government servants and employees of any Council of Nursing or any offices under the Central/State Governments, autonomous/ statutory bodies, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p>Essential:</p> <p>i) 12th Standard or equivalent qualification from a recognized Board or University.</p> <p>ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 Key Depressions for each word).</p> <p>iii) Working knowledge of Computers</p> <p>Desirable:</p> <p>i) Preference will be given to those candidates who possess a certificate course in Secretarial practice and also possess working experience of 2 years.</p>

8	9	10	11
Age: No E.Q.: No	Two years for direct recruits	100% By Direct Recruitment	Not Applicable

1	2	3	4	5	6	7
13. Multi Tasking Staff (MTS)	4 (2017)	Group C (Non-technical)	Level 1 of Pay Matrix (Rs. 18000-56900) (corresponding to PB-1 Rs. 5200-20200+GP Rs. 1800)	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not Applicable	Not Applicable. These posts shall stand abolished as and when they fall vacant	Not applicable

T. DILIP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./394/17]